97

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 1382—दो/2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 10—01—2007 के द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक निगरानी 744—तीन/2007.

.....

1—नरेन्द्र प्रताप सिंह तनय वीरेन्द्र सिंह बघेल
2—ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह (मृत)
वारिसानः—
1—सुषमा सिंह पत्नि स्व0 श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह
2—अमिता सिंह पुत्र स्व0 श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह
3—नमीतासिंह पुत्री स्व0 श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह
4—सिमता सिंह पुत्री स्व0 श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह
5—ज्योतिना सिंह पुत्री स्व0 श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह
6—पूर्णिमा सिंह पुत्री स्व0 श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह
3—योगेन्द्र प्रताप सिंह तनय वीरेन्द्र सिंह बघेल
4—भरत प्रताप सिंह तनय जगत बहादुर सिंह
निवासीगण रामपुर बघेलान तहसील
रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—महेन्द्र सिंह तनय रामसुन्दर सिंह
2—राजेन्द्र सिंह (मृत) वारिसान :—
3—सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह
3—वीरेन्द्र सिंह 4—नरेन्द्र सिंह
पुत्रगण रामसुन्दर सिंह
5—कुलदीप सिंह 6—प्रदीप सिंह
पुत्रगण शिवसिंह
7—शांति सिंह 8— सुनीता सिंह
9—सरला सिंह पुत्रियां शिवसिंह
समस्त निवासीगण ग्राम झण्ड तहसील
रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0

10–श्रीमती बटुइया पत्नी रामकुशन सिंह
पुत्री बटुईया पत्नी रामकुशल सिंह
पुत्री भगवान दीन सिंह निवासी ग्राम
अजमाइन तहसील अमर पाटन जिला सतना
11–अभिमान सिंह 12–सत्येन्द्र सिंह
पुत्रगण रामकुमार सिंह
13–जैकरनसिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह
14–रेंतवारी विधवा जयमनिया
15–श्यामलाल 16–रामखिलावन
17–छोटेलाल पुत्रगण मंगल
18–जानकी विधवा दुलारे
19–रामलाल पुत्र दुलारे
20–जनता ग्राम झण्ड द्वारा रामप्रताप पाण्डेय
21–रामेश्वर पुत्र बदराम (मृत)
वारिसान:–
अ–वीरन ब–मनबीसा कौल पुत्रगण रामेश्वर
22–गैबी पुत्र बंशधारी (मृत)
वारिसान :–
अ–रमेश ब–जय प्रकाश पुत्रगण गैबी कौल
23–रामस्वरूप पुत्र वासुदेव
24–सिया शरण पुत्र जागेश्वर
25–चन्द्रवती पुत्री रामसजीवन पत्नी शोभनाथ सिंह
कमांक 11 से 25 निवासीगण ग्राम झण्ड
तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ए0 के0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदकगण
श्री आई0 पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, अना0 क0–22

.....

आदेश

(आज दिनांक 13/11/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह रिव्यु न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–01–2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2–प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम झण्ड तहसील रघुराजनगर की जनता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष शिकायती आवेदन दिया गया कि ग्राम झण्ड की भूमि सर्वे कमांक 1, 5, 145, 146, 147, 256, एवं 257 का क्षेत्रफल 56.48 एकड़ है यह भूमि चरनोई एवं निस्तार की भूमि है जिस पर रामसुन्दर सिंह आदि ने बिना किसी अधिकार के अपना नाम लिखा लिया हैं जनता की ओर से प्रार्थना की गई थी उक्त भूमि पूर्वत निस्तार में दर्ज की जाय। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 1/अ–74/80–81 में पारित आदेश दिनांक 11.3.81 द्वारा यह निर्णय लिया कि जिस भूमि के संबंध में शिकायत की गई हे वह खातेदारों की भूमि है उक्त भूमि के संबंध में की गई शिकायत को निराधार पाते हुये अस्वीकार करने के साथ ही अनुविभागीय अधिकारी ने अन्य भूमि सर्वे कमांक 73/1082 एवं सर्वे कमांक 77 को निस्तार के लिये सुरक्षित भूमि माना। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व कलेक्टर न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किया जिसमें यह आधार लिया कि भूमि सर्वे कमांक सर्वे कमांक 73/1082 एवं सर्वे कमांक 77 आवेदक नरेन्द्र पताप आदि के स्वत्व की भूमि है जो उनके नाम राजस्व अभिलेख में अंकित है। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण को कार्यवाही की कोई सूचना नहीं दी और आवेदकगण की भूमि को निस्तार की भूमि होने का निष्कर्ष निकाला। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 26.9.1983 द्वारा आवेदकगण का निगरानी आवेदन स्वीकार करते हुये निष्कर्ष निकाला कि ग्राम की जनता ने जो आवेदन प्रस्तुत किया था उसका निराकरण संहिता की धारा–115 के अनुसार तहसीलदार को करने का अधिकार है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही अधिकार विहीन एवं अवैधानिक है। अपर कलेक्टर ने प्रकरण के निर्देशों के साथ वापस किया कि संहिता की धारा–115 के अंतर्गत संबंधित तहसीलदार जनता द्वारा दिये गये आवेदन का निराकरण करें। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्व मूल आवेदनकर्ता जनता ग्राम झण्ड में आयुक्त न्यायालय के समक्ष निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया जिसे आयुक्त रीवा संभाग ने दिनांक 19.4.05 को अपर कलेक्टर के आदेश से सहमति व्यक्त करते हुये निरस्त किया। आयुक्त रीवा के आदेश के विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष रामसुन्दर सिंह आदि ने निगरानी का आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें इस न्यायालय ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकालते हुये कि अधीनस्थ न्यायालय ने अनुविभागीय

अधिकारी का आदेश अधिकार विहीन मानने के लिये कोई विवेचना नहीं की है। संहिता की धारा 115 के अंतर्गत केवल भूमि स्वामी को ही आवेदन देने का अधिकार है इसके साथ ही यह टिप्पणी करते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया कि " जहां तक आवेदकगण की भूमि स्वामित्व की भूमि का प्रश्न है" उसके संबंध में आयुक्त रीवा का आदेश निरस्त किया जाता है। इसी आदेश के रिव्यु के लिये यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व मण्डल ने संहिता की धारा 115 के संबंध में जो व्याख्या की है वह धारा–115 के पूर्णतः विपरीत है। धारा–115 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी स्वमेव कार्यवाही करते हैं जबकि किसी व्यक्ति विशेष का आवेदन धारा–116 के अंतर्गत विचार योग्य होता है । दूसरा तर्क है कि जनता की ओर से जिन सर्वे कमांको को निस्तार भूमि होना कहते हुये आवेदन दिया गया था राजस्व मण्डल ने उन्हीं सर्वे कमांकों को पृथक कर कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है। इससे जनता द्वारा दिये गये मूल आवेदन का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है, एवं जांच के लिये कुछ नहीं बचता है इन आधरों पर आवेदकों का तर्क है कि जनता द्वारा दिये गये मूल आवेदन में बताई गई भूमि के संबंध में जाचं करने के लिये प्रकरण सक्षम न्यायालय तहसीलदार को भेजा जाय क्यों कि राजस्व अभिलेखों में की गई भूल के सुधार का विचाराधिकार तहसीलदार को ही है, जैसा कि अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा था।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि इस न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों पर पूरा विचार करने के बाद आदेश पारित किया है, इसलिये रिव्यू का कोई आधार नहीं बनता है। प्रस्तुत रिव्यु आवेदन निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। निगरानी में पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का वारीकी से अध्ययन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से ऐसा लगता है कि ग्राम की जनता ने शासन के हित में एवं निस्तार भूमि को अवैध रूप से व्यक्तिगत भूमि के रूप में दर्ज करा लेने की जानकारी देते हुये अनुविभागयी अधिकारी रामपुर बघेलान के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था कि क्यों कि निस्तार की भूमि के संबंध में निस्तार पत्रक आदि तैयार करने का अधिकार

अनुविभागीय अधिकारी को ही है। अपर कलेक्टर जिला सतना ने जनता द्वारा दिये गये आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के आदेश एवं प्रकरण के तथ्यों की विस्तार से विवेचना करते हुये जो आदेश दिया था मेरे मत में अपर कलेक्टर का आदेश न्यायोचित और विधि अनुकूल आदेश था जिसमें आयुक्त रीवा ने आशिंक संशोधन करते हुये आवश्यक निर्देश दिये थे।

6– राजस्व मण्डल का आदेश जिसमें मण्डल ने उस भूमि को जांच से प्रथक किया है सही नहीं ठहराया जा सकता क्यों कि इससे जनता द्वारा दिये गये मूल आवेदन तथा प्रकरण का अस्तित्व ही समाप्त हो जाताहै। जनता ने भूमि सर्वे कमांक 1, 5, 145, 146, 147, 256 एवं 257 को निस्तार भूमि होना कहते हुये आवेदन दिया था। जनता द्वारा दिया गया आवेदन किसी व्यक्ति विशेष का आवेदन नहीं था, इसलिये आयुक्त ने संहिता की धारा–115 के अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश तहसीलदार को देने में कोई त्रुटि नहीं की थी। राजस्व मण्डल के आदेश का रिव्यु करने के लिये जो तर्क आवेदकों की ओर से दिये गये हैं, उनके से मैं सहमत हूँ। जहां शासकीय निस्तार की भूमि का प्रश्न है उसे जांच से प्रथक नहीं किया जा सकता।

7–उपरोक्त विवेचना के आधार पर रिव्यु का यह आवेदन स्वीकार किया जाता है। राजस्व मण्डल द्वारा पारित निगरानी प्र0 क0 744–तीन/2005 में पारित आदेश दिनांक 10.1.2007 निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामपुर बघेलान जिला सतना को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम झाण्ड की जनता द्वारा दिये गये मूल आवेदन की राजस्व अभिलेखों के आधार पर पूरी जांच की जाय, एवं सभी पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये विवाद का निराकरण किया जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर